उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–57/2012–13

दिनेश चन्द्र झा

बनाम्

प्रबोध कुमार झा

—: आदेश :—

दिनांक 11/9/23

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता दिनेश चन्द्र झा, पे0–स्व0 जलधर झा, सा0–बौसी, जिला–बांका, बिहार के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–74/2003–04 के आदेश दिनांक–16.01.2012 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा–रंगनियाँ, जमाबंदी सं0–32, दाग नं0–63, 81, 83 रकवा 29–13–18 धुर जमीन मधुसूदन भगवान के धार्मिक कार्य के रख रखाव हेतु दान किया गया था एवं ब्राह्माणों को पंडा यानि उपासक के रूप में नियुक्त किया था। इसलिए उनके नाम पुजारी एवं जमीन "विश्नोत्तर रैयत" के रूप में दर्ज किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जमीन देवोत्तर जमीन है एवं मदुसुदन भगवान जी के पूजा में व्यय के लिए है। यद्यपि कि पूजारी का नाम सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। लेकिन उनलोगों के द्वारा पूजा का कार्य छोड़ दिया एवं पूजारी के रूप में अपने कार्य छोड़ दिये जाने के कारण उक्त जमीन रखने का अधिकार खो दिया है। जलधर झा, पे0–दिनेश झा एवं रमेश झा ही लगातार पूजा का कार्य करते आ रहा है। आगे उल्लेख है कि चक्रधर झा वादी नं0–1, माला देवी वादी नं0–2 ने टाईटल पार्टीशन सूट नं0–33/88, 281/95 (चक्रधर झा बनाम् जलधर झा एवं अन्य) वाद दायर किया था, उसमें प्रबोध कुमार पंडा, पे0–बच्चे लाल पंडा प्रतिवादी सं0–2 के रूप में था। उक्त वाद को उपस्थिति के अभाव में दिनांक–15.03.2002 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद अहिल्या देवी, पति–चक्रधर झा की ओर से वाद को पुनर्स्थापित करने के लिए विविध वाद सं0–01/2003 दायर किया गया। लेकिन उक्त वाद को भी उपस्थिति के अभाव में दिनांक–26.09.2009 को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद पक्षकार की ओर से आगे कोई वाद दायर नहीं किया गया है। तसदीक शिविर के द्वारा भी जमाबंदी

रैयत के द्वारा दायर किया गया बँटवारा आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने लगान रसीद निर्गत करने के आदेश को रोकने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया है कि तत्कालिन रानी लक्ष्मीपुर ने भगवान मधुसूदन के पूजा एवं देखभाल के लिए मौजा–रंगनियाँ, पंचायत–बकसरा, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा की जमीन दान में दी थी। दान में देने के बाद गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में "विश्नोत्तर मसुदन जी" के साथ पूजारी उचित पंडा फूलकी पंडा, युगल पंडा एवं बच्चू पंडा, पेसरान–पियारी पंडा के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाता गया है :–

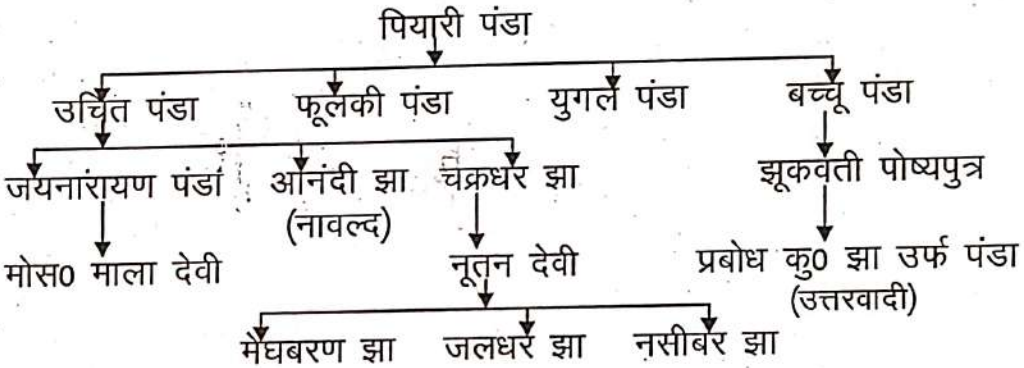

आगे उल्लेख किया गया है उक्त जमाबंदी सं0–32 में कुल रकवा 29–13–18 धुर जमीन है, जिसका आपसी बँटवारा कर लिया गया है। आपसी पारिवारिक बँटवारा के अनुसार प्रत्येक को रकवा 07–07–10 धुर करके जमीन प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में जमाबंदी रैयत युगल पंडा की नावल्द मृत्यु हो गयी। उनके हिस्से की जमीन तीन जमाबंदी रैयत के वंशजों के बीच एक तिहाई करके बँटवारा किया गया। जमाबंदी रैयत बच्चू पंडा भी नावल्द थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में प्रबोध कुमार झा उर्फ पंडा को पोष्यपुत्र निबंधित दस्तावेज के द्वारा दिनांक–21.01.1978 को पोष्यपुत्र लिया और प्रबोध कुमार झा उर्फ पंडा जमाबंदी रैयत बच्चू पंडा के कानूनी पुत्र बन गया। इसलिए युगल पंडा के 1/3 हिस्सा जमीन जो 02–09–02–10 धुरकी होता है, पर हकदार एवं दखलकार हुए। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रकवा 02–09–02–10 धुरकी जमीन का लगान रसीद निर्गत करने के लिए आदेश पारित किया ई और अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त आदेश अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम

संगत है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–371/रा0 दिनांक–05.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–रंगनियाँ थाना नं0–11, जमाबंदी नं0–32 रकवा 29–13–18 धुर जमीन विषनौत्तर मसुदन जी मोकाम बौसी जिला–भागलपुर तरफ से पुजहर उचित पंडा वो पुलकी पंडा वो जुगल पंडा वो बचु पंडा, पेसरान–प्यारे पंडा कौम ब्राहमण सा0–बौंसी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी–II के पेज सं0–60 में उक्त खाता के अन्तर्गत नामांतरण वाद संख्या–3/1/1968–69 से रकवा 07–07–07 धुर जमीन झोखावति पति बचु झा, सा0–बौसी के नाम खाता संख्या–32/1 में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–74/2003–04 (प्रवोध कुमार झा बनाम् अंचल अधिकारी) में पारित आदेश दिनांक–16.01.2012 में आवेदक (प्रवोध कुमार झा) को विधिवत नामांतरण का आवेदन अंचल कार्यालय में दाखिल करके नामांतरण करने के पश्चात् लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया है।परन्तु उक्त पंजी के पृष्ट सं0–74 पर प्रवोध कुमार झा का नाम खाता सं0–32/1 में रकवा 09–16–09 धुर जमीन बिना किसी नामांतर के दर्ज है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में रा0वि0 वाद सं0–74/2003–04 के आधार पर दर्ज किया गया है। स्थल जाँच से पाया गया कि जमाबंदी नं0–32 के रैयत जलधर पंडा (मृत) श्री दिनेश चन्द्र झा, मसुदन भगवान मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। शेष रैयतों के किसी भी वंशजों के द्वारा पूजा पाठ नहीं करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–रंगनियाँ नं0–11, जमाबंदी सं0–32 कुल रकवा 29–13–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा वीसनोतर मसुदन जी मोकाम वौसी जिला भागलपुर तरफ से पूजहर उचित पंडा वो फूलकी पंडा वो युगल पंडा वो बचु पंडा, पेसरान–पेयारे पंडा किस्म रैयत विसनोतर रैयत के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत रकवा 02–09–02–10 धुरकी जमीन का लगान रसीद निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को आदेश दिया गया है। उत्तरवादी प्रवोध कुमार झा को यह भी आदेश दिया गया है कि विधिवत नामांतरण का आवेदन अंचल कार्यालय में दाखिल कर लगान भुगतान सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता का आवेदन है

कि उनलोगों के द्वारा पूजा का कार्य छोड़ दिया गया है एवं पूजारी के रूप में अपने कार्य छोड़ देने के कारण उक्त जमीन रखने का अधिकार भी खो दिया है। लेकिन अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पंजी–II के पेज सं0–60 में उक्त खाता के अन्तर्गत नामांतरण वाद संख्या–3/1/1968–69 से रकवा 07–07–07 धुर जमीन झोखावति पति बचु झा, सा0–बौसी के नाम खाता संख्या–32/1 में दर्ज है। यह भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी प्रवोध कुमार झा को बच्चु पंडा के पत्नि झोखावती ने दिनांक–21.01.1978 को पोष्यपुत्र लिया गया है। उत्तरवादी के द्वारा पोष्यपुत्र के आधार पर दावा किया गया है। उक्त पोष्यपुत्र रद्द होने के संबंध में कोई भी कागजात अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार यह उभय पक्ष के बीच स्वत्व से संबंधित मामला प्रतीत होता है, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–74/2003–04 के आदेश दिनांक–16.01.2012 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा। 04/27

उपायुक्त, गोड्डा। 05/27

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:- 78 दि०-30.10.23

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदा०, गोड्डा को उनके न्याय० वाद रा० वि० वाद सं०- 74/2003-04 (पुराने वाद सं० अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट) मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संलग्नक- यथोक्त।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
30/10/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:32:58 +05:30
Location: 192.168.1.37